भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

# ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

## स्वप्रेरणा प्रकटीकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम
के धारा 4 के तहत

जून 2024

## विषय-सूची


| | विवरण | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **अनुभाग #** | | |
| 4(1)(ख)(i) | ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य | 1 |
| 4(1)(ख)(ii) | इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य | 2 |
| 4(1)(ख)(iii) | विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं | 3 |
| 4(1)(ख)(iv) | इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड | 4 |
| 4(1)(ख)(v) | इसके द्वारा या इसके नियंत्रणाधीन धारित या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख | 6 |
| 4(1)(ख)(vi) | दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण | 7 |
| 4(1)(ख)(vii) | किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वियन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं | 8 |
| 4(1)(ख)(viii) | ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण | 9 |
| 4(1)(ख)(ix) | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका | 11 |
| 4(1)(ख)(x) | इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो | 12 |
| 4(1)(ख)(xi) | सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट | 13 |
| 4(1)(ख)(xii) | सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं | 14 |
| 4(1)(ख)(xiii) | इसके द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां | 15 |
| 4(1)(ख)(xiv) | किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों | 16 |
| 4(1)(ख)(xv) | सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं | 17 |
| 4(1)(ख)(xvi) | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां | 18 |
| 4(1)(ख)(xvii) | अन्य सूचना | 19 |
| **अनुलग्नक #** | | |
| 1. | संयुक्त सचिव (जेएस) और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के आधिकारिक दौरे | 20 |
| **अनुलग्नक #** | | |
| 1. | समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिनांक 12 मई, 1994 | |
| 2. | यूवाईआरबी के गठन का आदेश | |
| 3. | यूवाईआरसी के गठन का आदेश | |
| 4. | यूवाईआरबी के कार्य | |
| 5. | यूवाईआरबी सचिवालय अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य | |

**अनुभाग - 4(1)(बी)(i)**

# ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

यमुना के उद्गम से लेकर दिल्ली के ओखला बैराज तक फैले विस्तार को ऊपरी यमुना के नाम से जाना जाता है।

ऊपरी यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर सह-बेसिन राज्यों के बीच समय-समय पर मतभेद हुआ करते थे। इसे अंततः 12 मई, 1994 को पांच बेसिन राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद सुलझा लिया गया। समझौता ज्ञापन की प्रति परिशिष्ट-1 में दिया गया है। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 11.3.95 के संकल्प संख्या 10(66)/74-आईटी के द्वारा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन किया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद उत्तराखंड (तब उत्तरांचल) राज्य अस्तित्व में आया और इसे जल संसाधन मंत्रालय के 16 मार्च, 2001 के संकल्प के द्वारा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड तथा ऊपरी यमुना समीक्षा समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

समझौता ज्ञापन में, लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह का आवंटन समझौते के समग्र ढांचे के भीतर विनियमित करने के लिए, "ऊपरी यमुना नदी बोर्ड" के गठन का प्रावधान है। बोर्ड के कामकाज की निगरानी के लिए "ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति" का भी गठन किया गया है। बोर्ड के गठन का आदेश परिशिष्ट-2 में और ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति के गठन का आदेश परिशिष्ट-3 में दिया गया है। बोर्ड के कार्य परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं।

## अनुभाग - 4(1)(ख)(ii)

# इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

बोर्ड के सचिवालय के अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य परिशिष्ट-5 में दिए गए हैं।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978, समय-समय पर संशोधित, के अनुपूरक नियम 2(10) और नियम 3(एफ) के अंतर्गत सदस्य सचिव, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को जल संसधान मंत्रालय के पत्र संख्या 26/3/99-आईटी/900 दिनांक 6 जुलाई, 1999 के द्वारा बोर्ड का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के किसी भी अधिकारी को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियमावली की तरह कार्य करने हेतु वित्तीय शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। अन्य वित्तीय शक्तियां वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों के अनुसार हैं।

## अनुभाग - 4(1)(ख)(iii)

# विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

## ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का संगठन चार्ट

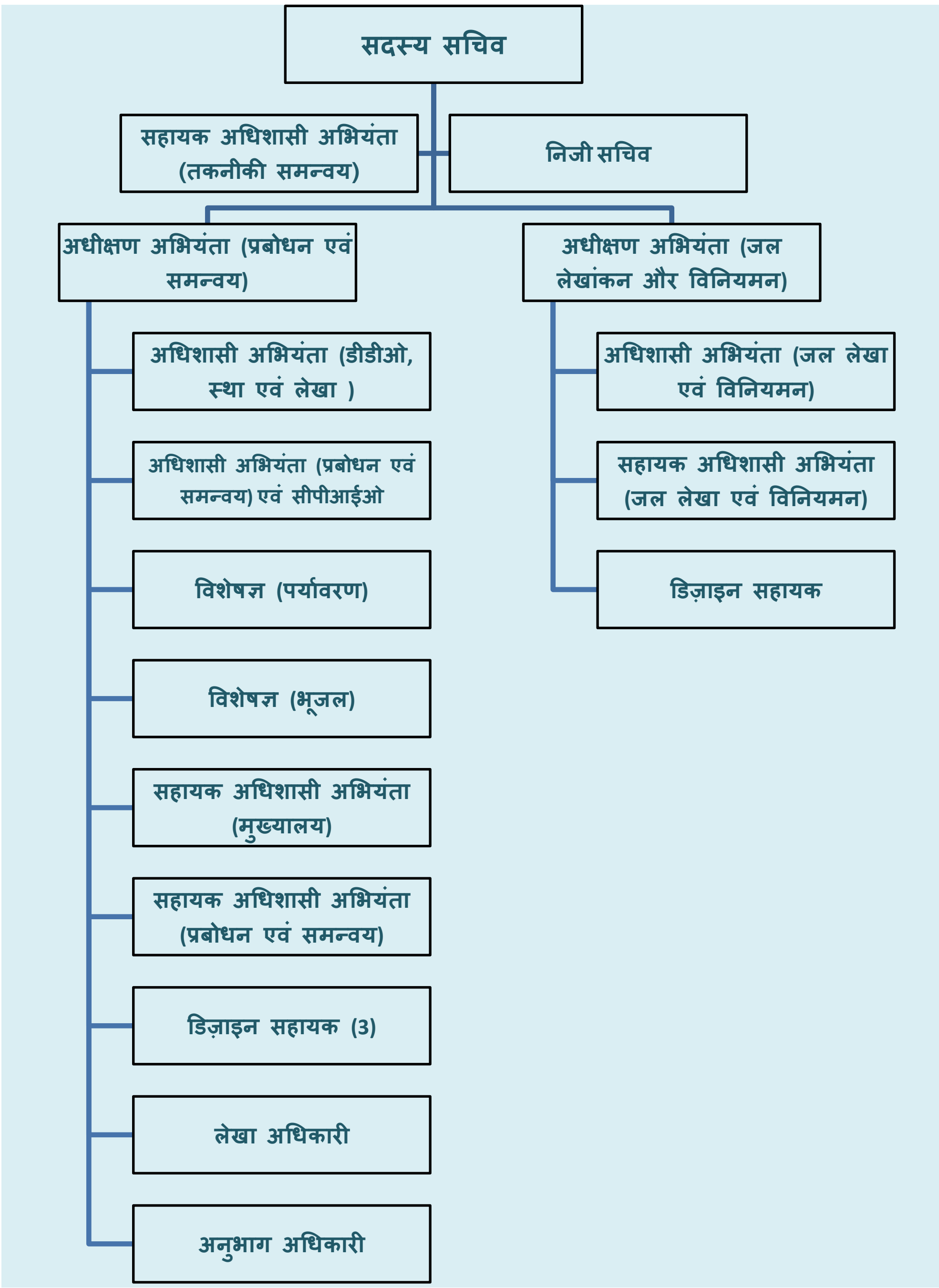

**अनुभाग - 4(1)(ख)(iv)**

# इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड

संगठन के सुचारू संचालन के लिए, बोर्ड ने कृत्यों के निर्वहन करने के लिए कुछ मानदंड स्थापित किए हैं। मानदंडों में, सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों, यानी समग्र रूप से संगठन, के प्रतिक्रिया समय पर जोर दिया गया है।

मानदंडों को तीन (3) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय।

## (1) तकनीकी

तकनीकी कृत्यों के निर्वहन के मानदंड इस प्रकार हैं:

| | |
|---|---|
| **संसद के प्रश्नों के उत्तर:** | संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर। |
| **अति विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भ का उत्तर:** | यदि किसी अन्य एजेंसी से कोई जानकारी अपेक्षित है, तो उसके लिए अनुरोध पत्र दस (10) कार्य दिवसों के भीतर भेजा जाएगा। सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के बाद, या यदि ऐसी कोई जानकारी अपेक्षित नहीं है, तो एक (1) महीने के भीतर उत्तर भेजा जाएगा। |
| **बेसिन राज्यों द्वारा नियंत्रक राज्य(यों) द्वारा जल की कम आपूर्ति के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों पर कार्रवाई:** | दो (2) कार्य दिवसों के भीतर। |

## (2) प्रशासनिक

| | |
|---|---|
| **अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी व्यक्तिगत मामलों जैसे छुट्टी, एलटीसी आदि पर कार्रवाई:** | अनुरोध प्राप्त होने के पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर। |

## (3) वित्तीय

| | |
|---|---|
| **ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं से बिलों पर कार्रवाई:** | बिल प्राप्त होने के पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर। |
| **सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत बिलों पर कार्रवाई:** | |
| **(क) प्रतिपूर्ति** | बिल प्राप्त होने के दस (10) कार्य दिवसों के भीतर। |
| **(ख) चिकित्सा को छोड़कर अन्य सभी अग्रिम** | अनुरोध प्राप्त होने के पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर |
| **(ग) चिकित्सा अग्रिम** | अनुरोध प्राप्त होने के दो (2) कार्य दिवसों के भीतर. |

हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपरोक्त मानदंड हैं, न कि समय-सीमाएँ। इन मानदंडों का पालन करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक मामले की जरूरत और अन्य महत्वपूर्ण कार्य होने पर, वास्तविक प्रतिक्रिया समय अलग-अलग हो सकता है।

**अनुभाग - 4(1)(ख)(v)**

# इसके द्वारा या इसके नियंत्रणाधीन धारित या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

## (क) प्रशासनिक और वित्तीय संदर्भ:

**1.** मौलिक नियम
**2.** अनुपूरक नियम
**3.** छुट्टी नियम
**4.** यात्रा भत्ता नियम
**5.** एलटीसी नियम
**6.** चिकित्सा परिचर्या नियम
**7.** केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम
**8.** केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरन, नियंत्रण एवं अपील) नियम
**9.** केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम
**10.** केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम
**11.** केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम
**12.** सामान्य भविष्य निधि नियम
**13.** स्टाफ कार नियम
**14.** सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर विवरणिका
**15.** कार्यालय प्रक्रिया का मैनुअल
**16.** सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल, वॉल्यूम I और **II**
**17.** सीपीडब्ल्यूडी लेखा कोड
**18.** वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम
**19.** सामान्य वित्तीय नियम

## (ख) सामान्य संदर्भ:

**1.** संबंधित विषयों पर भारतीय मानक (भारतीय मानक ब्यूरो)
**2.** समझौता ज्ञापन, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड / ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति के गठन का आदेश वगैरह।

**अनुभाग - 4(1)(ख)(vi)**

# दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण

जब से ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की स्थापना हुई है, तब से बेसिन राज्यों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों के साथ नियमित बैठकें और पत्राचार होते रहे हैं। इन सभी दस्तावेजों को तीन (3) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय।

## (1) तकनीकी

तकनीकी दस्तावेजों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

i. **तकनीकी पत्राचार**: संसद प्रश्नों के उत्तर, वीआईपी संदर्भ, बोर्ड की बैठकें, अंतर्राज्यीय मामले, दिल्ली को जलापूर्ति इत्यादि
ii. **तकनीकी प्रतिवेदन:** समझौता ज्ञापन, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि
iii. **तकनीकी आंकड़े:** जल-मौसम संबंधी आंकड़े, जल उपयोग आंकड़े, जल गुणवत्ता आंकड़े इत्यादि

## (2) प्रशासनिक

प्रशासनिक दस्तावेजों को मोटे तौर पर भर्ती नियम, भर्ती प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे और सुविधाएं, अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामले इत्यादि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

## (3) वित्तीय

वित्तीय दस्तावेजों को मोटे तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य बिल; ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के बिल; बजट; स्टोर खाते आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है।

**अनुभाग - 4(1)(ख)(vii)**

## किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

फिलहाल ऊपरी यमुना नदी बोर्ड में ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है।

**अनुभाग - 4(1)(ख)(viii)**

# ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण

## 1. ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति

**संघटन**

| | |
|---|---|
| केंद्रीय जल संसाधन मंत्री/ राज्य मंत्री, भारत सरकार | अध्यक्ष |
| हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री (राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल) | सदस्य |
| हरियाणा के मुख्यमंत्री (राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल) | सदस्य |
| राजस्थान के मुख्यमंत्री (राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल) | सदस्य |
| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल) | सदस्य |
| उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री (राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल) | सदस्य |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री (राष्ट्रपति शासन की स्थिति में उपराज्यपाल) | सदस्य |
| अध्यक्ष, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड | सचिव |

**कार्य:**

- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के कामकाज का पर्यवेक्षण करना
- यमुना के सतही प्रवाह के आवंटन के संबंध में दिनांक 12-5-1994 के समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराना तथा यमुना नदी बेसिन की ओखला तक के ऊपरी भाग के समुचित विकास और प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना
- बोर्ड के निर्णयों पर यदि कोई असहमति हो तो उसे पुनरीक्षण समिति के सदस्य द्वारा समिति को प्रस्तुत की जा सकती है।

## 2. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन संकल्प संख्या 10(66)/74-आईटी दिनांक 11-3-95 द्वारा किया गया और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं।

| | | |
|---|---|---|
| (i) | सदस्य (डब्लू पी & पी ), केन्द्रीय जल आयोग | अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य अभियंता (डब्लू आर), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ<br>(मुख्य अभियंता, गंगा, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, वैकल्पिक सदस्य के रूप में ) | सदस्य |
| (iii) | मुख्य अभियंता (लेवेल-I), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| (iv) | मुख्य अभियंता, यमुना जल सेवाएँ, हरियाणा | सदस्य |
| (v) | शासन सचिव, सिंचाई विभाग, जयपुर, राजस्थान<br>(मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, वैकल्पिक सदस्य के रूप में) | सदस्य |
| (vi) | प्रमुख अभियंता , जल शक्ति विभाग , हिमाचल सरकार | सदस्य |
| (vii) | प्रमुख अभियंता (जल), दिल्ली जल बोर्ड , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | सदस्य |
| (viii) | मुख्य अभियंता (एच पी & आई ), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण | सदस्य |
| (ix) | मुख्य जल भूविज्ञानी एवं सदस्य, केंद्रीय भूजल बोर्ड | सदस्य |
| (x) | वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य |
| (xi | सदस्य सचिव, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड | सदस्य सचिव |

बोर्ड ने 22-4-1995 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

उपरोक्त बोर्ड/समितियों की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं। जिन मुद्दों पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, उनके लिए समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।

### अनुभाग - 4(1)(ख)(ix)

## इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

### संचार के लिए पता:

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, यमुना भवन, सी-56/3, सेक्टर-62, नॉएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201309

| पदनाम | कार्यालय फ़ोन | ई मेल |
|---|---|---|
| अध्यक्ष, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड एवं सदस्य (डब्लू पी & पी), केन्द्रीय जल आयोग | 011-26108590 | mwp@nic.in |
| सदस्य सचिव | 0120-2975554 | msuyrb-mowr@nic.in, uyrb-mowr@nic.in |
| सहायक निदेशक-II | 0120-2975553, 0120-4971338 | uyrb-mowr@nic.in |
| सलाहकार | | |

| | |
|---|---|
| वेबसाइट : | https://jalshakti-dowr.gov.in/upper-yamuna-river-board/ |
| कार्यालय ई मेल : | uyrb-mowr@nic.in |

## अनुभाग - 4(1)(ख)(x)

# इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो

| क्रम.सं | पद का नाम | 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन का लेवेल |
|---|---|---|
| 1 | सदस्य सचिव | लेवेल-14 |
| 2 | अधीक्षण अभियंता | लेवेल -12 |
| 3 | अधिशाषी अभियंता | लेवेल -11 |
| 4 | विशेषज्ञ (पर्यावरण) | लेवेल -11 |
| 5 | विशेषज्ञ (भूजल) | लेवेल -11 |
| 6 | सहायक अधिशाषी अभियंता | लेवेल -10 |
| 7 | लेखा अधिकारी | लेवेल -10 |
| 8 | अनुभाग अधिकारी | लेवेल -7 |
| 9 | निजी सचिव | लेवेल-7 |
| 10 | डिजाइन सहायक/जूनियर इंजीनियर | लेवेल -7 |
| 11 | नक़्शानवीस | लेवेल -6 |

**अनुभाग - 4(1)(ख)(xi)**

## सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

वर्ष 2024-25 के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है:

| क्रम.सं | उद्देश्य-शीर्ष | राशि (लाख रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | वेतन | 100.00 |
| 2 | मजदूरी | 0.50 |
| 3 | पुरस्कार | 0.50 |
| 4 | चिकित्सा उपचार | 5.00 |
| 5 | भत्ता | 90.00 |
| 6 | छुट्टी यात्रा रियायत | 7.00 |
| 7 | प्रशिक्षण व्यय | 2.00 |
| 8 | घरेलू यात्रा खर्च | 4.00 |
| 9 | विदेश यात्रा खर्च | 7.00 |
| 10 | कार्यालय व्यय | 150.00 |
| 11 | मुद्रण एवं प्रकाशन | 2.00 |
| 12 | अन्यों के लिए किराया | 15.00 |
| 13 | डिजिटल उपकरण | 4.00 |
| 14 | ईंधन और स्नेहक | 5.00 |
| 15 | लघु सिविल तथा बिजली के कार्य | 6.00 |
| 16 | व्यावसायिक सेवाएं | 15.00 |
| 17 | मरम्मत और रखरखाव | 3.00 |
| 18 | अन्य राजस्व व्यय | 2.00 |
| 19 | उपस्कर और औजार | 70.00 |
| 20 | अन्य पूंजीगत व्यय | 5.00 |
| 21 | आईसीटी उपस्कर | 56.00 |
| 22 | भवन एवं संरचनाएं | 130.00 |
| 23 | अवसंरचनात्मक आस्तियां | 35.00 |
| 24 | फ़र्निचर और फिक्सचर | 35.00 |
| | **कुल राशि** | **749.00** |

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अंतर्गत ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसे धनराशि वितरित की जाती है।

**अनुभाग - 4(1)(ख)(xii)**

# सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के तहत किसी भी सहायिकी कार्यक्रम का प्रावधान नहीं है।

**अनुभाग - 4(1)(ख)(xiii)**

# इसके द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड किसी प्रकार की छूट नहीं देता, ना ही कोई परमिट/ प्राधिकरण जारी करता है।

**अनुभाग - 4(1)(ख)(xiv)**

# किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

वर्तमान में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के पास इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**अनुभाग - 4(1)(ख)(xv)**

# सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से संबंधित जानकारी जनता के लिए बोर्ड की वेबसाइट- https://jalshakti-dowr.gov.in/upper-yamuna-river-board/ पर उपलब्ध है।

वर्तमान में बोर्ड द्वारा किसी पुस्तकालय या वाचनालय का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। किसी भी जानकारी के लिए लोक सूचना अधिकारी से मेल या कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

## अनुभाग - 4(1)(ख)(xvi)

# लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

| अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम | सम्पर्क करने का विवरण |
|---|---|
| रवि भूषण कुमार ,सदस्य सचिव | कार्यालय का पता:<br>उपरी यमुना नदी बोर्ड, यमुना भवन, सी-56/3, सेक्टर-62, नॉएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201309<br>फ़ोन: 0120-2975554<br>ई मेल: uyrb-mowr@nic.in<br>वेबसाइट: https://jalshakti-dowr.gov.in/upper-yamuna-river-board/ |

| सीपीआईओ और नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम | सम्पर्क करने का विवरण |
|---|---|
| सैय्यद रईस अहमद, सलाहकार | कार्यालय का पता:<br>उपरी यमुना नदी बोर्ड, यमुना भवन, सी-56/3, सेक्टर-62, नॉएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201309<br>फ़ोन: 0120-2975553<br>ई मेल: uyrb-mowr@nic.in<br>वेबसाइट: https://jalshakti-dowr.gov.in/upper-yamuna-river-board/ |

## अनुभाग - 4(1)(ख)(xvii)

### अन्य सूचना

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के आधिकारिक दौरे | अनुलग्नक-I |

**अनुलग्नक-I**

# संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के आधिकारिक दौरे

| क्रम.सं | नाम | पद का नाम | वर्ष | स्थान | यात्रा से | यात्रा तक | उद्देश्य | दौरे की कुल लागत (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एच.के. साहू | सदस्य सचिव | 2012 | - | - | - | - | - |
| 2 | एच.के. साहू | सदस्य सचिव | 2013 | - | - | - | - | - |
| 3 | एच.के. साहू | सदस्य सचिव | 2014 | पुणे | 19.05.2014 | 22.05.2014 | ट्रेनिंग प्रोग्राम | 20,588/- |
| 4 | एच.के. साहू | सदस्य सचिव | 2014 | आगरा | 03.07.2014 | 03.07.2014 | उपकरणों का निरीक्षण | 2,423/- |
| 5 | एच.के. साहू | सदस्य सचिव | 2015 | पुणे | 11.02.2015 | 13.02.2015 | ट्रेनिंग प्रोग्राम | 519/- |
| 6 | एच.के. साहू | सदस्य सचिव | 2015 | पुणे | 19.05.2015 | 22.05.2015 | ट्रेनिंग प्रोग्राम | 18,897/- |
| 7 | एच.के. साहू | सदस्य सचिव | 2015 | पोंटा साहिब | 24.05.2015 | 25.05.2015 | यमुना नदी पर परियोजनाओं का दौरा | 9,715/- |
| 8 | एच.के. साहू | सदस्य सचिव | 2015 | भोपाल | 10.06.2015 | 11.06.2015 | अन्वेषण | |
| 9 | डी. पी. मथुरिया | सदस्य सचिव | 2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | डी. पी. मथुरिया | सदस्य सचिव | 2017 | उत्तराखण्ड | 20.10.2017 | 22.10.2017 | डाक पत्थर परियोजना का दौरा | 14,268/- |
| 11 | डी. पी. मथुरिया | सदस्य सचिव | 2018 | श्रीनगर | 07.06.2018 | 10.06.2018 | हिन्दी सहभागी समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए | 26,321/- |

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड
स्वप्रेरणा प्रकटीकरण

| क्रम.सं | नाम | पद का नाम | वर्ष | स्थान | यात्रा से | यात्रा तक | उद्देश्य | दौरे की कुल लागत (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | डी. पी. मथुरिया | सदस्य सचिव | 2019 | भुबनेश्वर | 13.02.2019 | 14.02.2019 | अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन | 10,554/- |
| 13 | डी. पी. मथुरिया | सदस्य सचिव | 2020 | - | - | - | - | - |
| 14 | डी. पी. मथुरिया | सदस्य सचिव | 2021 | - | - | - | - | - |
| 15 | योगेश पैथंकर | सदस्य सचिव | 2021 | - | - | - | - | - |
| 16 | आर. डी. देशपांडे | सदस्य सचिव | 2021 | - | - | - | - | - |
| 17 | आर. डी. देशपांडे | सदस्य सचिव | 2022 | लखनऊ | 11.05.2020 | 12.05.2022 | संयुक्त समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु | 13,515/- |
| 18 | आर. डी. देशपांडे | सदस्य सचिव | 2022 | दिल्ली से कलकत्ता एवं पुणे | 17.04.2022 | 29.04.2022 | MCTP प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु | 15,537/- |
| 19 | बी.पी. पांडे | सदस्य सचिव | 2022 | आगरा | 10.11.2022 | 11.11.2022 | ओखला बैराज, आगरा नहर प्रणाली का दौरा और परियोजना अधिकारियों के साथ चर्चा हेतु | 5,900/- |
| 20 | रवि भूषण कुमार | सदस्य सचिव | 2023 | पुणे | 26.06.2023 | 27.06.2023 | NWA पुणे में व्याख्यान देने के लिए | व्यय आयोजकों द्वारा वहन किया गया |
| 21 | रवि भूषण कुमार | सदस्य सचिव | 2023 | पुणे | 09.08.2023 | 10.08.2023 | NWA पुणे में व्याख्यान देने के लिए | व्यय आयोजकों द्वारा वहन किया गया |
| 22 | रवि भूषण कुमार | सदस्य सचिव | 2023 | पुणे | 30.08.2023 | 03.09.2023 | NWA पुणे में व्याख्यान देने के लिए | व्यय आयोजकों द्वारा वहन किया गया |

| क्रम.सं | नाम | पद का नाम | वर्ष | स्थान | यात्रा से | यात्रा तक | उद्देश्य | दौरे की कुल लागत (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | रवि भूषण कुमार | सदस्य सचिव | 2023 | विशाखापत्तनम | 01.11.2023 | 04.11.2023 | सिंचाई और जल निकासी पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए। | 32,298/- |
| 24 | रवि भूषण कुमार | सदस्य सचिव | 2023 | चंडीगढ़ | 28.12.2023 | 29.12.2023 | I&WRD, हरियाणा सरकार के साथ बैठक में भाग लेने के लिए। और मुनक और खुबरू में परियोजनाओं का दौरा | 2,960/- |
| 25 | रवि भूषण कुमार | सदस्य सचिव | 2024 | महाबलीपुरम | 22.01.2024 | 25.01.2024 | जल विज़न@2047 पर दूसरे अखिल भारतीय वार्षिक सचिव सम्मेलन में भाग लेने के लिए | 54,286/- |
| 26 | रवि भूषण कुमार | सदस्य सचिव | 2024 | हथिनिकुंड | 08.04.2023 | 09.04.2023 | हथिनीकुंड बैराज के डाउनस्ट्रीम में नदी प्रशिक्षण कार्य के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु संयुक्त टीम का निरीक्षण/बैठक | आधिकारिक कार |

**यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्त दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन**

1. जबकि ओखला तक यमुना नदी में 75 प्रतिशत विश्वसनीय अवधारित अप्रयुक्त प्रवाह 11.70 बिलियन घन मीटर आंका गया है और औसत वार्षिक उपलब्धता 13.00 बिलियन घन मीटर आंकी गई है ।

2. और जबकि बिना विनिर्दिष्ट आंबटन के सिंचाई एव पेय जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेसिन राज्यों द्वारा ताजेवाला तथा ओखला से जल का उपयोग किया जा रहा था ।

3. और जबकि कुछ बेसिन राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में मांग की गई है और काफी समय से यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधन के विनिर्दिष्ट आबंटन की आवश्यकता महसूस की गई है ।

4. और जबकि यमुना नदी के सतही प्रवाह का उपयोग अधिकाधिक करने के लिए अनेक भण्डारण परियोजनाओं का पता लगाया गया है ।

5. और जबकि सभी राज्य इस बात से सहमत हैं कि पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष ताजेवाला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह एवं ओखला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह में जैसे-जैसे प्रति प्रवाह भण्डारण सोपानबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बनाए जाएगे 10 क्यूमेक तक न्यूनतम प्रवाह, भण्डारणों के निर्माण के अनुपात में, बनाए रखा जाएगा ।

6. और जबकि यह आकलन किया गया है कि बाढ़ उत्प्लव के कारण 0.68 बिलियन घन मीटर जल की मात्रा का उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

7. अतः अब बेशिन राज्य अपनी सिंचाई और खपतकारी पेय जल आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर औसत वार्षिक उपलब्धता के आधार पर यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधनों के निम्नलिखित आवंटन पर सहमत हैं:

   1. हरियाणा 5.730 बिलियन घन मीटर
   2. उत्तर प्रदेश 4.032 बिलियन घन मीटर
   3. राजस्थान 1.119 बिलियन घन मीटर
   4. हिमाचल प्रदेश 0.378 बिलियन घन मीटर
   5. दिल्ली 0.724 बिलियन घन मीटर

बशर्ते कि निम्नलिखित को पूरा किया जाए :

(i) इस नदी के ऊपरी कछार में भण्डारणों का निर्माण होने तक यमुना नदी के वार्षिक उपयोज्य प्रवाह का निम्नानुसार अन्तरिम मौसमी आबंटन होगा :-

| राज्य | यमुना जल का मौसमी आबंटन (बिलियन घन मीटर) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | जुलाई - अक्टूबर | नवंबर - फरवरी | मार्च - जून | वार्षिक |
| हरियाणा | 4.107 | 0.686 | 0.937 | 5.730 |
| उत्तर प्रदेश | 3.216 | 0.343 | 0.473 | 4.032 |
| राजस्थान | 0.963 | 0.070 | 0.086 | 1.119 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.190 | 0.108 | 0.080 | 0.378 |
| दिल्ली | 0.580 | 0.068 | 0.076 | 0.724 |
| योग | **9.056** | **1.275** | **1.652** | **11.983** |

प्रावधान है कि अन्तरिम मौसमी आबंटन दस दिवसीय आधार पर वितरित किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि जैसे-जैसे भण्डारणों का निर्माण किया जाएगा, उपरोक्त अन्तरिम मौसमी आबंटन, पैरा-7 में दिखाए गए अन्तिम वार्षिक आबंटन के अनुरूप क्रमिक रूप से संशोधित होते जाएगे ।

(ii) इस समझौते के अन्तर्गत किए गए समग्र आबंटन के ढांचे में प्रत्येक अभिज्ञात भण्डारण के सम्बन्ध में अलग से समझौता किया जाएगा ।

(iii) इस समझौते के समग्र ढांचे के अन्तर्गत, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा, लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच उपलव्ध प्रवाहों का आंबटन विनियमित किया जाएगा ।

प्रावधान है कि किसी वर्ष में जब जल उपलब्धता आंकलन की गई मात्रा से अधिक हो तो अधिशेष उपलब्ध जल को राज्यों के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वित्तरित किया जाएगा ।

यह भी प्रावधान है कि किसी वर्ष में जब जल उपलब्धता आंकलन की गई मात्रा से कम हो तो पहले दिल्ली के पेय जल आबंटन को पूरा किया जाएगा तथा शेष जल को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

8. इस समझौते की वर्ष 2025 के बाद पुनरीक्षण की जा सकती है यदि बेसिन राज्यों में से कोई राज्य ऐसी मांग करता है ।

9. इस समझौते को शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दी गई सहायता और परामर्श का हम उल्लेख करते हैं एवं कृतज्ञ भाव से आभार प्रकट करते हैं ।

नई दिल्ली, 12 मई, 1994

| | | |
|---|---|---|
| ह०/- | ह०/- | ह०/- |
| (मुलायम सिंह यादव) | (भजन लाल) | (भैरों सिंह शेखावत) |
| मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश | मुख्यमंत्री हरियाणा | मुख्यमंत्री राजस्थान |
| ह०/- | ह०/- | |
| (वीरभद्र सिंह) | (मदन लाल खुराना) | |
| मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश | मुख्यमंत्री दिल्ली | |

उपस्थिति में :

ह०/-
(विद्याचरण शुक्ल)
मंत्री (जल संसाधन)

परिशिष्ट - 2 259

No. 26/1/95/I.T./854
Government of India
Ministry of Water Resources
(Indus Wing)

11th Block, 8th Floor,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003.
Dated the 24th April 2001

O R D E R

In pursuance of Govt. Resolution No. 26/3/2000-I.T. dated 16.3.2001 the Upper Yamuna River Board which was earlier constituted in pursuance of Govt. Resolution No. 10(66)/74-I.T. dated 11.3.95, vide Orders no. 26/1/95-I.T. dated 20.4.95, 4.9.95, 3.2.97 and 21.10.98, is reconstituted as under:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Member (WP&P), Central Water Commission, | Chairman |
| 2. | Chief Engineer (WR), Irrigation Deptt. Govt. of U.P., (Chief Engineer, Ganga, Irrigation Deptt., Govt. of U.P., as alternate Member) | Member |
| 3. | Chief Engineer (Level-I), Irrigation Deptt., Uttaranchal | Member |
| 4. | Chief Engineer, Yamuna Water Services, Govt. of Haryana | Member |
| 5. | Secretary to the Government, Irrigation Department, Govt. of Rajasthan, (Chief Engineer, Irrigation Deptt., Govt. of Rajasthan as alternate Member) | Member |
| 6. | Engineer-in-Chief, Irrigation and Public Health Department, Govt. of Himachal Pradesh | Member |
| 7. | Engineer-in-Chief (Water), Delhi Jal Board Govt. of NCT of Delhi. | Member |
| 8. | Chief Engineer (HP&I), Central Electricity Authority, Delhi | Member |
| 9. | Chief Hydrogeologist and Member, Central Ground Water Board | Member |
| 10. | Senior Environment Engineer, Central Pollution Control Board | Member |

Chief Engineer (BPMO), Central Water Commission, New Delhi shall continue to look after the functions of Member-Secretary of the Upper Yamuna River Board till such time that the regular appointment of the Member-Secretary of the Board is made by the Government.

(S. Mahto)
Senior Joint Commissioner (Indus)
Tel. No. 4362539

Copy to:-

1. Member (WP&P), Central Water Commission, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi-110066.

2. Chief Engineer (Water Resources), Irrigation Departmenmtt, Govt. of U.P, Lucknow (U.P)

3. Chief Engineer (Ganga), Irrigation Department, Govt. of U.P. , Ganga Bhavan, Saket, Meerut (U.P.).

4. Chief Engineer (Level-1), Irrigattion Deptt., Govt. of Uttaranchal, Yamuna Colony, Dehradun.

5. Chief Engineer, Yamuna Water Services, Govt. of Haryana, Chandigarh.

6. Secretary, Irrigation Department, Govt. of Rajasthan , Jaipur

7. Chief Engineer, Irrigation Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur

8. Engineer-in-Chief, Irrigation and Public Health Department, Govt. of Himachal Pradesh, Shimla.

9. Engineer-in-Chief (Water), Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi, Varunalya, Phase II, Jhandewalan Extension, Delhi-110005.

10. Chief Engineer (HP&I), Central Electricity Authority, Sewa Bhavan, R.K. Puram Delhi-110066.

11. Senior Hydrogeologist and Member, Central Ground Water Board, New CGO Complex NH-IV, Faridabad-121001 (Haryana).

12. Sr. Environment Engineer, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan, C.B.D.-Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi-110032.

13. Chief Engineer (BPMO), Central Water Commission, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi-110066.

Copy also forwarded for information to:-

1. PS to Minister (WR), Shram Shakti Bhavan, New Delhi.
2. PS to MOs (WR), Shram Shakti Bhavan, New Delhi.
3. PS to Chief Minister, Uttar Pradesh, Lucknow.
4. PS to Chief Minister, Uttaranchal, Dehradun.
5. PS to Chief Minister, Haryana, Chandigarh.
6. PS to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
7. PS to Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla.
8. PS to Chief Minister, NCT of Delhi, New Sectt., I.P. Estate, New Delhi-110002.

(S. Mahto)
Senior joint Commissioner (indus)

परिशिष्ट - 3

No. 26/1/95 - IT/817
Government of India
Ministry of Water Resources
(Indus Wing)
8th Floor, Block No. 11,
C.G.O. Complex, Lodhi Road,

New Delhi, dated 24th April 2001

**MEMORANDUM**

In pursuance of Government Resolution No. 26/3/2000 - I.T./ dated 16.3.2001, the Upper Yamuna Review Committee earlier constituted in pursuance of Govrnment Resolution No. 10(66)/74 - I.T. dated 11.3.95, vide Memorandum No. 26/1/95 - I.T. dated 22.4.95 is reconstituted as under:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Union Minister/Minister of State for Water Resources. | Chairman |
| 2. | Chief Minister of Haryana | Member |
| 3. | Chief Minister of Uttar Pradesh | Member |
| 4. | Chief Minister of Uttaranchal | Member |
| 5. | Chief Minister of Rajasthan | Member |
| 6. | Chief Minister of Himachal Pradesh | Member |
| 7. | Chief Minister of NCT of Delhi | Member |

II. In case of President's Rule in any of the aforesaid basin States, the Governor/Lt. Governor of the concerned State shall function as Member of the Upper Yamuna Review Committee.

III. The Chairman of the Upper Yamuna River Board shall be the Secretary of the Upper Yamuna Review Committee.

(S. Mahto)
Senior Joint Commissioner (Indus)
Tel. 4362539

Copy to:-

1. - 8. Chairman and Members of the Upper Yamuna Review Committee.

9. Member (WP&P), Central Water Commission, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi - 110066.

10 Chief Engineer (Water Resources), Irrigation Department, Govt. of U.P. Lucknow

11. Chief Engineer (Ganga), Irrigation Department, Govt. of U.P.,Ganga Bhawan, Saket, Meerut - 250001

12. Chief Engineer (Level-1), Irrigation Deptt., Govt. of Uttaranchal, Yamuna Colony, Dehradun.

13. Chief Engineer, Yamuna Water Services, Govt. of Haryana Chandigarh.

14. Secretary, Irrigation Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan).

15. Chief Engineer, Irrigation Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan).

16. Engineer-in-Chief, Irrigation and Public Health Department, Govt. of Himachal Pradesh, Shimla.

17. Engineer-in-Chief (Water), Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi, Varunalaya, Phase II, Jhandewalan Extension, New Delhi-110066.

18. Chief Engineer (HP&I), Central Electricity Authority, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110066.

19. Senior Hydrogeologist and Member, Central Ground Water Board, New CGO Complex, NH-IV, Faridabad-121001.

20. Sr. Environment Engineer, Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forests, Parivesh Bhavan, C.B.D.-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi-110032.

21. Chief Engineer (BPMO). Central Water Commession, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi-110066.

Copy also forwarded to:-

1. <u>Haryana</u>

(i) P.S. to Governor, Haryana, Chandigarh.
(ii) P.S. to Chief Minister, Haryana, Chandigarh.
(iii) Chief Secretary to Govt. of Haryana, Chandigarh.
(iv) Secretary, Irrigation Department, Govt. of Haryana, Chandigarh

107

2. Uttar Pradesh

(i) P.S. to Governor, U.P., Lucknow.
(ii) P.S. to Chief Minister, U.P., Lucknow.
(iii) Chief Secretary to Govt. of U.P., Lucknow.
(iv) Principal Secretary, Irrigation Department, Govt. of U.P., Lucknow.

3. Uttaranchal

(i) PS to Governor, Uttaranchal, Dehradun.
(ii) PS to Chief Minister, Uttaranchal, Dehradun.
(iii) Chief Secretary, Uttaranchal, Dehradun.
(iv) Secretary, Irrigation & Energy, Uttaranchal, Dehradun.

4. Rajasthan

(i) P.S. to Governor, Rajasthan, Jaipur.
(ii) P.S. to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
(iii) Chief Secretary to Govt. of Rajasthan, Jaipur.

5. Himachal Pradesh

(i) P.S to Governor, H.P., Shimla.
(ii) P.S. to Chief Minister, H.P., Shimla.
(iii) Chief Secretary to Govt. of H.P., Shimla.
(iv) Secretary, Irrigation & Public Health Department, Government of H.P., Shimla.

6. National Capital Territory of Delhi

(i) P.S. to Lt. Governor, NCT of Delhi, Delhi.
(ii) P.S. to Chief Minister, NCT of Delhi, New Sectt., I.P. Estate, New Delhi.
(iii) Chief Secretary to Govt. of NCT of Delhi, New Sectt., I.P. Estate, N. Delhi.
(iv) Principal Secretary, Urban Development, Govt. of NCT of Delhi, New Sectt., I.P. Estate, New Delhi.

(S. Mahto)
Sr. Joint Commissioner (Indus)

## ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन और उसके कार्य

1. गठन

सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग, बोर्ड के अंशकालिक अध्यक्ष होंगे और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों से मनोनीत एक-एक अधिकारी जिनका ओहदा मुख्य इंजीनियर से कम न हो और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक मुख्य इजीनियर तथा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के प्रतिनिधि इसके अंशकालिक सदस्य होंगे ।

बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव होगा। उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा एक बार में तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह इन किन्हीं भी बेसिन राज्यों से संबंधित नहीं होगा ।

2. कार्य

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे :

(क) दिनांक 12-5-1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में बेसिन राज्य सरकारों के मध्य हुए समझोते अथवा की गई व्यवस्थाओं का ध्यान रखकर ओखला बराज सहित ओखला तक विद्यमान एवं नदी प्रवाही जल-विद्युत् केन्द्रों की अतिभार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी भण्डारणों और बराजों से जल का विनियमन एवं आपूर्ति करना । नियंत्रण संरचनाओं का संचालन एव अनुरक्षण, प्रत्येक संरचना के संबध में समझौतों के अनुसार, संबधित राज्यों को करना होगा । यदि किसी समय किसी संरचना से प्रवाहों के विनियमन के संबध में विवाद होता है तो बोर्ड उस संरचना के संचालन एवं नियंत्रण का कार्य उस समय तक करेगा। जब तक कि विवाद का समाधान नहीं हो जाता परन्तु ऐसा कार्य पुनरीक्षण समिति के अनुमोदन से किया जाएगा तथा यह भी कि पुनरीक्षण समिति की बैठक 15 दिन के भीतर नहीं हो पाती है तो पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष इस सबंध में निर्णय करेंगे।

(ख) पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष ताजेवाला/ हथनीकुंड हेडवर्क्स के अनुप्रवाह एव ओखला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह में, जैसे-जैसे प्रतिप्रवाह भंडारण सोपानबद्ध तरीके से उत्तरोतर बनाये जायेंगे, 10 क्यूमेक तक न्यूनतम प्रवाह भण्डारणों के निर्माण अनुपात में बनाये रखना ।

(ग) सहमति अनुसार, यमुना से दिल्ली द्वारा लिए गए जल से नगरीय और पेयजल उद्देश्यों के लिए खपतकारी प्रयोग के बाद तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार बहिस्राव की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपचार उपलब्ध कराने के पश्चात वापसी प्रवाहों का प्रबोधन करना । इस उद्देश्य के लिए बोर्ड, संबंधित बेसिन राज्यों के परामर्श से ऐसी योजना तैयार करेगा जिसमें, वह स्थान जहां से कच्चा पानी लिया जाएगा तथा उसकी मात्रा और वह स्थान जहां पर उचित उपचार के पश्चात अधिक लिए गए जल को, प्रणाली को वापिस किया जाएगा, का विवरण दिया गया होगा ।

(घ) गाद निकालने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एव हरियाणा राज्यों द्वारा यमुना से लिए गए जल के वापसी प्रवाहों का प्रबोधन करना ।

(ङ) हथनीकुंड के प्रतिप्रबाह पर यमुना नदी से खारा जल-विद्युत केन्द्र की टेल रेस चेनल से प्रवाह का प्रबोधन करना, बशर्ते कि हथनीकुंड बराज का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो खारा टेल रेस चेनल का इष्टतम प्रचालन सुनिश्चित कर सके और पश्चिमी यमुना नहर की द्वितीय चरण की जल-विद्युत परियोजना का प्रावधान भी रखा जाए।

(च) विनियमन के प्रयोजन से प्रत्येक राज्य हेतु प्रति 10 दिन के लिए जल की हिस्सेदारी का हिसाब रखने और उसका निर्धारण करने के लिए नियम एवं विनियम बनाना ।

(छ) बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे गए सभी केन्द्रों पर यमुना के प्रवाहों का समवर्ती अभिलेख रखना, अभिलेखों पर विचार / उन्हें पूरा करना एवं प्रत्येक जल वर्ष में यमुना नदी में बहने वाले जल की मात्रा का निर्धारण ।

(ज) सिचाई, घरेलू, नगरीय एवं औद्योगिक अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु निकासियों एवं ओखला से नीचे नदी में जल प्रवाह के आंकड़ों का समवर्ती रिकार्ड रखना ।

(झ) सभी आवश्यक उपाय, जैसे कि सेल्फ रिकार्डिंग गेजों की प्रतिष्ठापना, बिना किसी बाधा के प्रेक्षण, रेटिंग कर्व तैयार करने के संबंध में दिशा निर्देश आदि, करके सभी संबंधित राज्यों को उनकी हकदारियों के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करना । ऐसे नियंत्रण केन्द्रों का चयन करना, जहां बोर्ड उपरोक्त समुचित उपाय करना चाहता हो जिनमें वे सब केन्द्र, जहां यमुना जल का बंटवारा एक से अधिक राज्यों के बीच किया जा रहा हो तया सबंधित नदियों एवं नहरों पर स्थित वे सब विनियमन केन्द्र, जहां बंटवारे के योग्य आपूर्ति का निर्धारण किया जा रहा हो, शामिल किए जायेंगे परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे। जहां तक नियंत्रण केन्द्रों के चयन का संबंध है, बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। सभी संबंधित राज्य पूर्ण रूप से सहयोग देंगे और उनकी हकदारियों के अनुसार बोर्ड द्वारा निश्चित की गई आपूर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तियों का विनियमन एवं नियंत्रण, फाटकों का प्रचालन और उनके सीमा क्षेत्र में किन्हीं अन्य मामलों में बोर्ड के दिन प्रतिदिन के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।

(ण) संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करना और उपयुक्त दिशा निर्देश देना ताकि जहां तक संभव हो, निम्लिखित का पालन सुनिश्चित किया जा सके :

(1) निधियों की उपलब्धता और शीघ्र परिणाम प्राप्त करने की वांछनीयता को ध्यान में रखकर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण ।

(2) पेय जल आपूर्ति, सिचाई, उद्योग, जल-विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए योजनाओं का एकीकृत संचालन जिनमें बेसिन राज्यों के बीच समझौतों में प्रावधानों के अनुसार विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के दौरान निकासियां भी शामिल है।

(3) भूजल एवं सतही जल की गुणवत्ता का प्रबोधन, संरक्षण एवं उन्नयन करना; और

(4) अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन ।

(ट) जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, जल विभाजक प्रबन्धन, प्रभावित आबादी का पुनर्वास तथा अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं के पर्यावरण के संरक्षण हेतु योजनाएं एवं अन्य राज्यों के क्षेत्रों को जल मग्न करने वालो परियोजनाओं का सिहावलोकन ।

(ठ) ओखला बराज तक तथा ओखला बराज सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन एवं पुनरीक्षण तथा बेसिन राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजनाओं के आधार पर परियोजनाओं को चरणबद्ध करने के लिए परामर्श देना ।

(ड) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के परामर्श से ऊपरी यमुना जल ग्रहण क्षेत्र में भूजल के अतिदोहन का प्रबोधन करना तया ऐसे विनियम बनाना जिनसे भूजल के अतिदोहन को रोका जा सके जो कि सतही प्रवाह के लिए हानिकारक है तथा जिनसे विशेष रूप से नदी प्रणाली में न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके ।

(ढ) प्रत्येक वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ बेसिन राज्यों को भी प्रस्तुत करना ।

(ण) ऐसे अन्य कार्य जो केन्द्रीय सरकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श करके सौपना चाहे ।

3. बोर्ड इस संकल्प के तहत अपने कार्यों को करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक सलाहकार समिति या समितियां नियुक्त कर सकता है।

4. बोर्ड आवश्कता के अनुसार बैठक आयोजित करेगा किन्तु प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक अवश्य करेगा तथा भण्डारणों और नदी प्रणालियों से जल निकासी के तरीके तथा ब्यौरे सहित जल के उचित प्रबन्ध करने पर निर्णय लेगा ।

5. बोर्ड का अध्यक्ष अथवा विधिवत् रुप से अधिकृत बोर्ड के प्रतिनिधियों में से किसी को भी किसी भूमि, सम्पत्ति, जिस पर यमुना जल के प्रयोग के लिए कोई परियोजना या किसी परियोजना विकास या माप संबंधी कोई कार्य या कोई अन्य जलवैज्ञानिक केन्द्र या मापक उपकरण का किसी राज्य द्वारा निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन किया गया है अथवा किया जा रहा है पर जाने का अधिकार होगा। इस संबन्ध में प्रत्येक राज्य अपने उपयुक्त विभागों के जरिए बोर्ड को तथा बोर्ड के अधिकृत प्रतिनिधियों को सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगा ।

6. बोर्ड को उतने कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा जितने कि वह अपने कार्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है। इस उद्देश के लिए, बोर्ड सभी सदस्य राज्यों तथा केन्द्र से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी प्राप्त करने का प्रयास करेगा ।

7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड पर किये जाने वाले व्यय को बेसिन राज्यों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

8. बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित की व्यवस्था के लिए नियम और विनियम बना सकता है।

(क) बोर्ड की बैठक के समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में कार्यों के लिए अपनायी जाने वाली कार्य विधि का विनियमन ।

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी को अधिकारों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन ।

(ग) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों का विनियमन ।

(घ) कोई अन्य मामला जिसपर बोर्ड विनियम बनाना आवश्यक समझता है ।

*****

**परिशिष्ट-5**

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड सचिवालय अधिकारियों के सदस्य-सचिव

**I. सदस्य सचिव**

सदस्य-सचिव बोर्ड सचिवालय का सर्वोच्च पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी है। वह बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सचिवीय सेवाएँ प्रदान करेगा, जिसमें जल वितरण और विनियमन पर डेटा और निर्णय लेने में बोर्ड की सहायता के लिए अन्य ऐसी जानकारी को संग्रह करना, सदस्यों के साथ समन्वय, बोर्ड की बैठकों की व्यवस्था और बोर्ड को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाएँ शामिल हैं। सदस्य-सचिव के सदस्य-सचिव निम्नलिखित है:

Provide overall administrative control and guidance to the officers in the Board secretariat for implementing decisions of the Board in regard to:

(i) Regulation and supply of water from all storages and barrages upto and including Okhla barrage, Maintenance of a minimum flow d/s of Tajewala and Okhla.

(ii) Monitoring return flows from the waters withdrawn by the basin States from Yamuna.

(iii) Framing of rules and regulations for water accounting and sharing of water for each State.

(iv) Records of the flow of the Yamuna, Data on withdrawals for irrigation, domestic, municipal and industrial or any other purpose and of water going down the river below Okhla as considered necessary by the Board.

(v) Ensuring delivery of supplies to all the concerned States as decided by the Board.

(vi) Activities relating to

- (a) Construction of different works;
- (b) Integrated operation of schemes for various uses like irrigation, water supply, industries, hydro-electric power, flood control, etc.;
- (c) Conservation and upgrading the quality of the surface and ground waters; and
- (d) Implementation of inter-State projects.

(vii) Plans of the Member States for catchment area treatment, watershed management, rehabilitation of affected population and conservation of the environment of inter-State projects and projects submerging areas in other States.

(viii) Phasing of projects on the basis of the work plans submitted by the basin States.

(ix) Exploitation of ground water in the Upper yamuna Basin and regulations as would prevent over-exploitation of the ground water.

**II(क) अधीक्षण अभियंता (जल लेखांकन और विनियमन)**

1. Providing administrative control and technical guidance to the divisions under the charge of Superintending Engineer engaged in the works relating to the following functions:
    - (i) Calculations of shares of water as per availability and as per the agreement under the directions of the Board.
    - (ii) Planning, selection and establishment of hydrological observation stations in the jurisdiction of Upper yamuna River Board as per the directions of the Board.
    - (iii) Collection of hydrological/water availability and water quality data including study and analysis.
    - (iv) Collection and maintenance of data regarding withdrawal of water from the river Yamuna by member States at various points for irrigation, power, domestic and industrial requirements.
    - (v) Collection and analysis of data regarding return flows, ground water quality of effluents discharged into the river.
    - (vi) To maintain a complete water accounting of Yamuna upto Okhla, analysis and study of the data to assess the quality and quantity of water at selected locations. Estimation of regeneration and losses in river reaches and canals. Preparation of graphs and other displays. Computation of the volume of minimum flow in the river as well as the share of water to be drawn by member States on 10 daily basis. Comparison of the results to ascertain whether all member States are drawing water allocated to them as per the agreement.
2. Assisting the Member Secretary in the works relating to:

    Implementing the decision taken by the Upper Yamuna River Board for ensuring delivery of supplies to all concerned States as per their requirements.
3. Maintenance of Tools & Plants and installations of the Board.
4. Updating and improvement of the existing system of observations in the divisions under him.

**II (ख) अधीक्षण अभियंता (प्रबोधन एवं समन्वय)**

1. Providing administrative control and technical guidance to the divisions under

the charge of Superintending engineer engaged in the works relating to the following functions:

(i) Co-ordination with the Member States in formulating short- term, long-term and perspective plans for water resources development and utilization in Yamuna Basin up to Okhla.

(ii) Coordination with the member states in preparation of guidelines for operation of the structures for regulation of water.

(iii) Monitoring the progress of projects under the jurisdiction of the Board and review when found necessary.

(iv) Monitoring of ground water exploitation in consultation with Central Ground Water Board.

(v) Monitoring of water pollution in consultation with Central Pollution Control Board.

2. Coordination of activities and giving appropriate directions so as to ensure:

(i) Progress of construction of different works.

(ii) Integrated operation of schemes for various uses consistent with the provision in the agreements.

(iii) Smooth implementation of inter-state projects.

3. Providing assistance to Member Secretary in respect of:

(i) Conducting the regular meetings of Board and its various Committees constituted for specific purposes.

(ii) Preparation of agenda notes, minutes of the meetings and dissemination of the information to all members and concerned officers and

(iii) Implementation of the decisions taken by the Board.

4. Operation of funds allocated to the Board and keep accounts.

5. Procurement of materials for the Board.

6. Appointment of personnel as per the recruitment rules of the Board.

7. Providing facilities for the inspection of various installations of the Board.

8. Preparation and publication of annual reports of the Board.

9. Other misc. works as and when assigned by Member Secretary.

**III (क) अधिशासी अभियंता (जल लेखा एवं विनियमन)**

1. Providing Administrative control and technical guidance to the staff working under the division in works relating to

(i) Analysis and study of the data collected to assess the quantity of water

at selected locations.

(ii) Preparation of graphs, drawings and displays.

(iii) Computation of minimum flow, share of water drawn by member states, scrutiny of data relating to withdrawals at different locations and comparison with actually allocated water as per the agreement.

2. Assisting the Superintending Engineer in implementation of the decisions taken by Upper Yamuna River Board.

**III (ख) अधिशासी अभियंता (डीडीओ, स्था एवं लेखा)**

1. Providing administrative control and technical guidance to staff working under the division.
2. Dealing with the service matters of all employees of employees of Upper Yamuna River Board.
3. Dealing with all accounts matters, operation of funds allocated to Board, drawing and disbursing of staff salary/allowances etc.
4. Procurement of materials for the Board.
5. Providing facilities for the inspection of installations.
6. Maintenance of vehicles.
7. Miscellaneous works as and when assigned.

**III (ग) अधिशासी अभियंता (प्रबोधन एवं समन्वय)**

1. Providing administrative and technical guidance to Staff working under the division.
2. Overviewing of plans from the Board for catchment area treatment, water-shed management, rehabilitation and conservation of environment.
3. Monitoring the progress of projects.
4. Coordination of various activities to ensure:

(i) Progress and smooth implementation of construction works/inter-state projects.

(ii) Integrated operation of schemes consistent with the provisions in the agreements.

5. (i) Providing assistance to conduct regular meetings of Upper Yamuna River Board.

(ii) Preparation of agenda notes, minutes of the meetings and

disseminationof information to all members and related offices.

6. Publication of annual reports.

**IV विशेषज्ञ (पर्यावरण)**

1. Monitoring f the quality of water discharged into the river from various drains.
2. Monitoring of the quality of water in Yamuna and its tributaries and in the canals at selected locations.
3. Monitoring of the quality of ground water.
4. Organising the bio-monitoring of the river.
5. Performance evaluation of the future effluent treatment plants in the basin.

**V विशेषज्ञ (भूजल)**

1. Planning, selection and design of Ground Water Monitoring stations for water level and quality monitoring in coordination with participating States.
2. Arranging monitoring the Ground Water Level at regular periodically through network stations.
3. Arranging data collection, storage and analysis of ground water data from the participating States.
4. Examining the existing Network of Observation wells with regard to density of network vis-à-vis the objectives of Monitoring so as to initiate appropriate action for optimization of observation Network.
5. Computing the quantum of groundwater withdrawal from different abstraction structures throughout the Upper Yamuna River Basin, to keep track of status of Groundwater development in the Basin in general and in "dark/grey" blocks in particular.
6. Computing the groundwater balance in collaboration with other disciplines in the basin and to evolve suitable management strategy for sustainable development of ground water resources in the Yamuna Basin.
7. Advising the Board on the various aspects of ground water.

**VI(क) सहायक अधिशासी अभियंता (जल लेखा एवं विनियमन) - 2**

1. Providing administrative control and technical guidance to staff working

under his control.

2. Analysis and study of data collected to assess the quantity and quality of water at selected locations.
3. Preparation of graphs, drawings and displays.
4. Computation of the minimum flow in the river and share of water drawn by member States. Scrutiny of data relating to actual water drawn and entitlement as per the agreement of member states.
5. Assisting the Executive Engineer in implementation of decisions taken by Upper Yamuna River Board.

**VI(ख) सहायक अधिशासी अभियंता (मुख्यालय) - 1**

1. Procurement of materials.
2. Providing facilities for inspection of installations.
3. Maintenance of vehicles.
4. Miscellaneous works as and when assigned.
5. Publication of Annual Report.

**VI(ग) सहायक अधिशासी अभियंता (प्रबोधन एवं समन्वय) - 1**

1. Overviewing plans of the Board for catchment area treatment, water-shed management, rehabilitation and conservation of environment.
2. Monitoring of progress of projects.
3. Coordination of activities to ensure progress and smooth implementation of inter-state projects.
4. Coordination of integrated operation of projects consistent with decisions of Board.
5. Providing assistance to conduct the meetings of Board, prepare and dispatch of agenda notes minutes of meetings etc.

**VII लेखा अधिकारी**

To assist Executive Engineer in keeping the accounts and operating the funds allocated to UYRB in accordance with the rules of the Board.

**VIII अनुभाग अधिकारी**

1. Service matters of all employees of Upper Yamuna River Board.
2. General duties such as distribution of work among the staff, training, helping and advising the staff, management and coordination of work, etc.
3. Responsibilities relating to the dak.
4. Responsibilities relating to issue of drafts

**IX. निजी सचिव -1**

निजी सचिव सदस्य सचिव से संबद्ध रहेंगे।

1. Taking dictation in shorthand and its transcription in the best manner possible.
2. Fixing up appointments.
3. Screening the telephone calls and visitors.
4. Keeping the list of engagements, meetings, etc. and reminding the officer.
5. Maintaining the papers required by the officer in proper order.
6. Keeping a note of the movement of files, passed by his officer and other officers, if necessary.

उपरोक्त सभी पद नोएडा कार्यालय में स्थित हैं।